अपील सूचना अधिकार संख्या 81/2019 (RCMS 2019/00227) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्ट ऑर्डर नं. 41F/577817) बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

03.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए और कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तहसीलादार, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 09 बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है और धारा 20(1) व 20(2) के तहत शास्ति अधिरोपित करने व अप्रार्थी को हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.06.2019 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. आपके पत्रांक स्था/19/12– दिनांक 17.06.2019 से सम्बन्धित सूचनाए आपके पत्रांक की बिन्दु संख्या एक की चरण संख्या 6 में यह तथ्य अंकित है कि प्रार्थी ओम नाथ भाटिया अवकाश के दौरान उस वक्त कार्यरत तहसीलदार श्रीगंगानगर से मौखिक अनुमति लेकर मेरे परिचित श्री सुभाष गोयल एवं उनकी माताजी की वसीयत सम्बन्धी दस्तावेज में गवाह के रूप मं गवाही दर्ज करवाने हेतु इस तहसील परिसर कार्यालय की उपरी मंजिल पर स्थित उपपंजीयक कार्यालय में गया थ एवं भोजन अवकाश के दौरान ही वापिस आ गया था।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर में दिनांक 22.06.2020 को कार्यरत तहसीलदार का नाम व वर्तमान में वह तहसीलदार जिस स्थान पर पद स्थापित है उस जगह का नाम व पद स्थापन के पद की सूचना

1(ए) सोमनाथ भाटिया को 22/06/2000 को एक दिन का वेतन की कुल राशि की सूचना व प्रमाणित प्रति।

2. मौखिक आदेश की तहसीलदार की हस्तलिखित स्वीकृती व जिस नियम के अन्तर्गत मौखिक स्वीकृति गवाह के रूप में गवाही दर्ज करवाने हेतु तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दी गयी जबकि श्री ओम नाथ भाटिया, डयूटी पर थे ऐसी स्थिती में मौखिक स्वीकृती दिये जाने के विभागीय सिविल नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

3. सुभाष गोयल के माता जी का नाम व पता व वसीयत की विषय वस्तु की सूचना व वसीयत की प्रमाणित प्रति।

4. भोजन अवकाश में तहसील कार्यालय से उपपंजीयक कार्यालय में जाने का हस्तलिखित सक्षम प्राधिकारी तत्कालीन उपपंजीयक श्रीगंगानगर का प्रमाण पत्र की सूचना व प्रमाणित प्रति।

5. दिनांक 22.06.2000 को भोजन अवकाश के समय भी ओमनाथ भाटिया के गवाह के रूप में गवाही दर्ज हुई थी। इस बाबत सूचन व उपपंजीयक इस बाबत प्रमाण की प्रमाणित प्रति।

6. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की बिन्दु संख्या 2 में मुख्यालय छोडने के शब्द जिस जगह लिखे गये है उसकी सूचना व इस तथ्य बाबत प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

7. मुख्यालय छोडने सम्बन्धी जो नियम विभागीय नियमों में कर्मकारो हेतु बनाये गये है उस विभागीय नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
8. आपके पत्रांक की बिन्दु सं. 03 में कथन कि श्री ओम नाथ भाटिया दिनांक 22.06.2000 को तहसील कार्यालय में सहायक कर्मचारी के पद पर ही उपस्थित था लेकिन दिनांक 02.06.2000 को उक्त कार्मिक भोजन अवकाश के दौरान उपपंजीयक कार्यालय मे उपस्थित हुआ है न कि पूरा दिन उपस्थित हुआ है।

   दिनांक 02.06.2000 को उक्त कार्मिक भोजन अवकाश के दौरान ही उपपंजीयक कार्यालय में उपस्थित हुआ है न कि पूरा दिन उपस्थित हुआ इस बाबत श्री सोमनाथ भाटिया तत्कालीन तहसीलदार व वर्तमान तहसीलदार के शपथ पत्र प्रमाणित सूचना।
9. उप पंजीयक कार्यालय में भोजनावकाश नही बनाया जाता है व भोजनावकाश के समय भी कार्य किया जाता है इस बाबत उप पंजीयक की हस्तलिखित नियम सहित सूचना व प्रमाणित प्रति।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक स्थापना/2019/169 दिनांक 22.07.2019 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक प्रार्थना पत्र में लेख है कि आपके द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार है:

1. यह है कि इस कार्यालय द्वारा नोटिस स्पष्टीकरण देने बाबत क्रंमाक–स्थापना/2019/118 दिनांक 29.05.2019 के सन्दर्भ में श्री ओम नाथ भाटिया लिपिक ग्रेड द्वितीय कार्यालय हाजा द्वारा जबाव स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न है।
2. यह है कि इस कार्यालय से संबन्धित नही है।
3. यह है कि 22.06.2000 को श्री करतार सिंह तहसीलदार पद स्थापित थे।
4. आदेश मौखिक थे हस्तलिखित संभव नही है।
5. इस कार्यालय से सम्बन्धित नही है।
6. इस कार्यालय से सम्बन्धित नही है।
7. श्री ओमनाथ भाटिया दिनांक 22.06.2000 का तत्कालीन तहसीलदार पदस्थापित के मौखिक आदेश से दोपहर भोजन अवकाश के समय में गवाह के रूप में गवाही दर्ज करवाई थी। जिसमें कार्मिक द्वारा नियम की अवहेलना नही की गई।
8. कार्मिक के व्यक्तिगत सूचना देने का कोई प्रावधान नही है।
9. कार्मिक भोजन अवकाश के समय निजी कार्य कर सकता है।
10. इस कार्यालय से संबन्धित नही है।
11. कार्मिक वसीयत संबधित दस्तावेज गवाह के रूप में भोजन अवकाश में गया था। जो भोजन अवकाश के दौरान वापिस आ गया था।
12. कार्मिक उप पंजीयक कार्यालय में गवाह के रूप में गवाही दर्ज करवाने गया एवं भोजन अवकाश के दौरान वापिस आ गया था।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

13. कार्मिक भोजन अवकाश के दौरान वापिस आ गया इस तथ्य को साबित करने हेतु कार्मिक़ द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण जबाव की प्रति संलग्न है।
14. कार्मिक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण जबाव की प्रति संलग्न है।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसप्रकार तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर